

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुमाप रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं ८वी / एच.पी./ ०५/६२/२०१९ / एफ.सी./ ८९८

दिनांक: ३० / ०५ / २०१९

सेवा में


नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालेंड, शिमला।

विषय : Diversion of 2.1532 ha of forest land for mining lease, approach road and staking of raw material for already established stone crusher at Pashada, P.O. Khaneri Tehsil Rampur Bushahr, Distt. Shimla, HP in favour of M/s Bushahr Laghu Udyog VPO Jhakri, Tehsilj Rampur Bushahr, within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख नुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश एफ.टी. 48-3737 / 2018 (एफ.सी.ए.) दिनांक 22.05.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझ आपका यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अमुख प्रस्ताव में संदर्भित stone crusher को स्थापित करने का प्रस्ताव पूर्व में *Diversion of 0.2898 ha instead of 0.5448 ha of forest land in which the quarry site is only 0.1964 ha in favour of Bushahr Laghu Udyog, Pashada for mining and installation of stone crusher under Rampur Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.* के नाम से इस कार्यालय द्वारा पृथक रूप से विचाराधीन है जिसको अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। प्रस्तावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि अमुख दोनों प्रस्तावों पर पृथक-पृथक विचार करना वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार तर्कपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि पूर्व में 0.2898 हेक्टेएर (*instead of 0.5448 ha*) वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में कुछ खामियां/कमियां पर राज्य सरकार से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण चाहा है जो अभी अपेक्षित है। अतः वर्तमान में संदर्भित / विषयांकित प्रस्ताव पर पृथक रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को विन्दुयार आख्या प्रस्तुत करें। तदानुसार ही दोनों प्रस्तावों पर consolidation से निर्णय लिया जा सकेगा।



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्मसडेल विलिंग, शिमला।

✓

भवदीय,

Yogesh Guleria
(डा० योगेश गुलेरिया)
तकनीकी अधिकारी

(डा० योगेश गुलेरिया)

Endst. No. Ft. 48-3737/2018 (FCA)

03 JUN 2019
Dated Shimla-1, the

Copy is forwarded to the following for information and necessary action.

- CCF Rampur.
- 2. DFO Rampur.
- 3. M/s Bushahr Laghu Udyog, V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bushahr. Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

The observations as raised by Government of India may please be attended and submit documents, wherever required.

Recd 31/6/19
Nodal Officer-cum-CCF (FCA),
O/o Pr.CCF(HoFF), H.P. Shimla-1

Endst. No. 1419

Dated Rampur, the 12-6-19

Copy is forwarded to DFO Rampur for information and further necessary action. He is directed to go through the above online observations raised by the R.O Deharadun and ensure to attend the observations and submit reply to this office for processing the case further.

✓
Chief Conservator of Forests,
Rampur Bushahr, H.P.

9-12/06/19